(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2046–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–5–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 24/15–16/अपील.

नुर खान पिता नाजीर खान
निवासी ग्राम कराडिया तहसील व जिला
धार म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

रेशमबाई पति मांगीलाल
निवासी ग्राम कराडिया तहसील व जिला
धार म0प्र0 .....अनावेदिका

श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक–आवेदक
श्री विकांत होल्कर, अभिभाषक–अनावेदिका

:: आदेश ::

(आज दिनांक 12/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार धार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व स्वामित्व की ग्राम कराडिया स्थित भूमि सर्वे नम्बर 112/3 रकबा 0.759 हेक्टेयर है, जिस पर वह अपने पति व पुत्र की मदद से कृषि कार्य करती है उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर उत्तर पश्चिम की ओर 60 कड़ी एवं दक्षिण पश्चिम की ओर 52 कड़ी के उपर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 5–5–15 को आदेश पारित कर आवेदक को अवैध कब्जा हटाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–9–15 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–5–16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित व मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक के पिता नाजिर खान ने 1987 में विधिवत रजिस्ट्री कराकर नप्ती कराते हुये भूमि का कब्जा प्राप्त किया है, तब से लगभग 30 वर्ष से निरन्तर वे प्रश्नाधीन भूमि पर खेती करते चले आ रहे हैं । अनावेदकपक्ष के पति द्वारा भी भूमि शहजाद खॉ से कय की गई है और 30 वर्षो में कभी भी कोई विवाद नहीं किया गया है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत बने प्रावधानों के अनुकूल नहीं किया गया है । स्वयं सीमांकन करने वाले पटवारी व राजस्व निरीक्षक ने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा फील्डबुक नहीं बनायी गई है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) साक्षी चम्पालाल ने कथन में बताया है कि उसे नहीं मालूम की कौन सी भूमि का सीमांकन किया गया है और यह भी स्वीकार किया गया है कि नप्ती केवल अनावेदक की भूमि की की गई है और आस पास के कृषकों की भूमि की नप्ती नहीं की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सीमांकन त्रुटिपूर्ण होने से तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में विधिवत् कार्यवाही की गई है ।

(4) तहसील न्यायालय में आई साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन विधिवत् नहीं किया गया है ।

(5) संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में तीन बातें साबित करना होती है –

1–प्रश्नाधीन भूमि का स्पष्ट वर्णन ।

2–आवेदक भूमिस्वामी के रूप में विवादग्रस्त भूमि पर काबिज था ।

3–आवेदक को किस दिन और किस प्रकार वेकब्जा किया ।

उक्त बातें तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा साबित नहीं की गई है ।

तर्क के समर्थन में 2005 आरएन 33, 1979 आरएन 318, 2013 आरएन 28, 1966 आरएन 595 व 1998 आरएन 106 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने के दिनांक से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा हो गया है इस आधार पर कहा गया कि अनावेदक द्वारा सीमांकन से 2 वर्ष के अन्दर समयावधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है अतः तहसीलदार द्वारा विधिवत् साक्ष्य ली जाकर आदेश पारित किया गया है जो कि विधिसंगत है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि का अनावेदिका द्वारा विधिवत् सीमांकन कराया गया है और उसका कौन सी भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, सीमांकन की कार्यवाही के आधार पर भूमिस्वामी पर किये गये अवैध कब्जे को वापिस दिलाया जा सकता है इस आधार पर

कहा गया कि तहसीलदार का आदेश विधिसंगत आदेश है जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) संहिता की धारा 250 के अन्तर्ग कार्यवाही में सीमांकन को चुनौती नहीं दी जा सकती है और ना ही सीमांकन की वैधानिकता की जॉच करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त है क्योंकि सीमांकन की कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही है जो संहिता की धारा 56 के अन्तर्गत आदेश की परिभाषा में नहीं आती है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सीमांकन में हस्तक्षेप करने में अवैधानिकता की गई है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 250 के प्रावधानों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है क्योंकि जिन तथ्यों का उल्लेख अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में किया गया है उन तथ्यों की जॉच करने की इस प्रकरण में आवश्यकता ही नहीं थी इसलिये तहसीलदार द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा न्यायसंगत कार्यवाही की गई है ।

(5) सीमांकन के समय आवेदक अपने पुत्र के साथ उपस्थित था परन्तु उसके द्वारा सीमांकन की सूचना लेने से इंकार किया गया है, ऐसी स्थिति में विधिसंगत सीमांकन तहसील न्यायालय द्वारा किया गया है जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 2013 आरएन 277 व 2006 आरएन 415 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के प्रावधानों के अधीन सीमांकन के आधार पर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर साक्ष्य–प्रतिसाक्ष्य अंकित कर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत विधिवत् आदेश पारित कर आवेदक को कब्जा हटाये जाने का आदेश दिया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक एवं अनियमित आदेश को निरस्त कर तहसील न्यायालय के विधिक आदेश की

पुष्टि करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर